

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 661 सन 2021

अनवान :-

1. अजयसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
2. दीपक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।

बनाम

वादीगण

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
2. सत्यनारायण पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
3. मीनूबाला पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
4. प्रतिभा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
5. राजबाला पुत्री सत्यनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
6. टीना पुत्री सत्यनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
7. कलावती पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
8. प्रेमादेवी पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
9. सन्तोष पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
10. कान्ता पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
11. गोमती पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बाराणी के खाता संख्या 332/280 की कुल 5.7620 हैक में से 1/3 हिस्सा भादरराम पुत्र हरलाल एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरराम पुत्र हरलाल के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का पिता है भादरराम पुत्र हरलाल का देहान्त हो चुका है भादरराम पुत्र हरलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो भादरराम पुत्र हरलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादीगण के पिता है ने अपने नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि रखी जाकर वाद भूमि जो भादरराम पुत्र हरलाल के नाम दर्ज है में अपने हकों का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं मृतक भादरराम पुत्र हरलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादी का पिता एवं भादरराम पुत्र हरलाल जो वादीगण का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि उनके पिता भादरराम पुत्र हरलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहानत हो चुका है भादरराम पुत्र हरलाल के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 332/280 की कुल 5.7620 हैक् में से 1/3 हिस्सा भादरराम पुत्र हरलाल एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि उनके दादा भादरराम पुत्र हरलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है भादरराम पुत्र हरलाल के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 332/280 की कुल 5.7620 हैक् में से 1/3 हिस्सा भादरराम पुत्र हरलाल एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है में से भादरराम पुत्र हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... बिरकाली

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अजयसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
2. दीपक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

- 1 लक्ष्मीनारायण पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 2 सत्यनारायण पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 3 मीनूबाला पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति)निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 4 प्रतिभा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 5 राजबाला पुत्री सत्यनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 6 टीना पुत्री सत्यनारायण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 7 कलावती पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 8 प्रेमादेवी पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 9 सन्तोष पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 10 कान्ता पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 11 गोमती पुत्री भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
- 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 661 सन 2021 निर्णय दिनांक- 26.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 332/280 की कुल 5.7620 हैक् में से 1/3 हिस्सा भादरराम पुत्र हरलाल एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है में से भादरराम पुत्र हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....बिरकाली